

12/12

सेवा में,

दिनांक 04-01-2013

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी,

रेलवे बोर्ड, कमरा सं०-5 आर०टी०आई०, सेल

रेल भवन, रफी मार्ग,

नई दिल्ली। पिन 110001

RECEIVED  
30806 2/1  
806 588033 10

विषय:- आर०टी०आई० 2006 के उपबन्धों के अन्तर्गत सूचना की मांग।

आर०टी०आई० एक्ट 2005 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी द्वारा निर्धारित शुल्क 10/- रुपया भारतीय पोस्टल आर्डर दिनांक 12.12.2012 सं० 80E588033 संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

आर०टी०आई० एक्ट की 2005 की धारा 7 (1) के अधीन विस्तृत सूचना जिसके समर्थन में सत्यापित प्रलेखों के साथ नियत समय के भीतर प्रार्थी को भेजा जाय।

महोदय,

1. यह कि रेलवे कर्मचारियों/अधिकारियों का वर्तमान में वेतन वृद्धि वर्ष भर में किस माह में देय होता है।
2. यह कि 6वें वेतन आयोग के पहले वेतन वृद्धि का निर्धारण किस प्रकार होता था।
3. वेतन वृद्धि कितने माह के बाद देय होता है।
4. यह कि माह जून में सेवा निवृत्त पाने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को 12 माह (30 जून तक) सेवा काल पूरा करने के बाद सेवा निवृत्त हो रहे कर्मचारियों को उस वर्ष का वेतन वृद्धि देकर समापक भुगतान/पेंशन आदि की गणना क्यों नहीं की जा रही है।

Note - I.P.O. No. 80E 588033  
Dated - 12.12.2012

प्रार्थी,

(अशोक गुप्ता)

04.01.2013

आर०टी०आई० कार्यकर्ता

म०सं०- बी 289 मूर्ति भवन,

आवास विकास कालोनी, शाहपुर पश्चिम,  
गीता वाटिका शाहपुर, गोरखपुर। 273006